ओमीक्रोन का खतरा: मुख्यमंत्री ने लिया सख्त निर्णय, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लागू

यूपी में आज से रात का कर्फ्यू

लखनऊ | विशेष संवाददाता

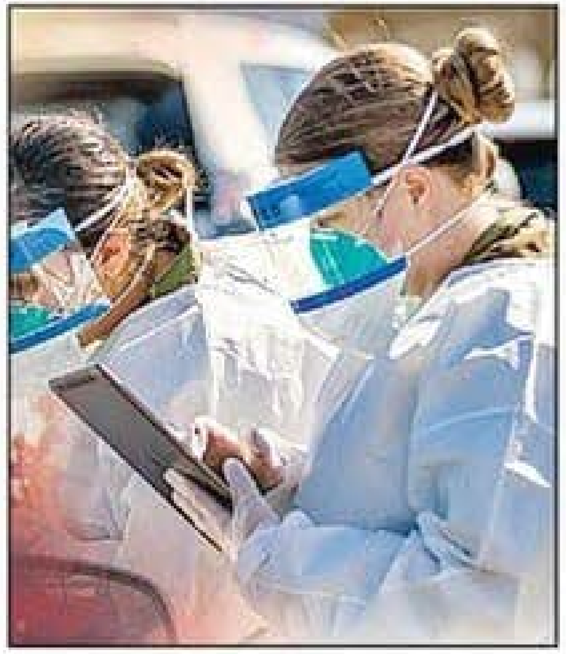

देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यूपी सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार से पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही शादी-विवाह समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अब अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सड़कों पर निकलने वालों व बाजार में आने-जाने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी और इसके लिए आयोजनकर्ता को पहले इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देना होगा।

सीएम ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पूर्व में की गई तैयारियों का पुनर्परीक्षण करें। वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए। बता दें कि प्रदेश में 19 करोड़ 14 लाख 94 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है।

> बिना मास्क घर से निकले तो कार्रवाई पेज 05

200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे शादी व अन्य समारोह में

49 नए संक्रमित मिले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में

मास्क नहीं तो सामान नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों व बाजारों में सबके लिए मास्क अनिवार्य किया जाए।

बाहर से आने वालों की जांच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के किसी भी राज्य अथवा विदेश से यूपी में आने वाले व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव करें।

औद्योगिक इकाइयों को छूट

- मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। औद्योगिक इकाइयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से छूट दी गई है लेकिन उन्हें कोविड हेल्प डेस्क, कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था करनी होगी। रोज की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को देनी होगी।
- कोरोना कर्फ्यू में मालवाहक वाहन, एंबुलेंस के साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात में चलने वाले उद्योगों से संबंधित कर्मचारी अपनी आईडी दिखाकर आ जा सकेंगे।
- शापिंग माल व सुपर मार्केट में मास्क, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य।
- शादी समारोहों तथा अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता के साथ प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना भी करनी होगी।
- खुले स्थानों पर एक समय में 50% तक मेहमान बुला सकेंगे।
- आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला व पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से देंगे।
- रेलवे तथा बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट की प्रभावी व्यवस्था रहेगी। शिक्षण संस्थानों में कोविड नियम अनिवार्य।

ओमीक्रोन के 70% मरीजों में लक्षण नहीं

नई दिल्ली। ओमीक्रोन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में ओमीक्रोन से संक्रमित 70 फीसदी मरीजों में कोई लक्षण नहीं पाए गए और जिन 30% मरीजों में लक्षण पाए गए वे भी काफी हल्के थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमीक्रोन संक्रमित 183 लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह जानकारी दी। संक्रमितों में करीब 48 फीसदी लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लगे थे।

> ब्योरा पेज 15